न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : जगत राजेश्वर, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 55/2017
निर्णय दिनांक :18.10.2018

1. ग्राम पंचायत बडी का बास जरिये संरपच झूथाराम बलाई पता ग्राम पंचायत बडी का बास तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

...प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. जयपुर विकास अधिकारी जयपुर जरिये सचिव पता इन्द्रा सर्किल, जेएलएन मार्ग जयपुर।

...अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मुताबिक खतौनी बदोबस्त ग्राम खुसर संवत 2015–34 के अनुसार खसरा नम्बर 47 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा गै0 मु0 आबादी दर्ज रिकार्ड थी। जो पूर्व ग्राम पंचायत श्रीराम की नांगल के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित थी। उक्त साबिक खसरा नम्बर 47 के हाल खसरा नम्बर 154 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 155 रकबा 1.50 है0, खसरा नम्बर 179 रकबा 0.05 है0 बने। खतौनी बन्दोबस्त 1 जुलाई 1989 से 30 जून 2009 के अनुसार खसरा नम्बर 154 रकबा 0.04 है0 किश्म गै0मु0 बाडा व खसरा नम्बर 179 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म जाव प्रथम 0.04 व चाही प्रथम 0.01 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या दो के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दी गई तथा खसरा नम्बर 155 रकबा 1.50 है0 ग्राम पंचायत के नाम से दर्ज है। जबकि उक्त आबादी भूमि पर ग्राम खुसर के ग्रामवासियो के मकानात इत्यादी अर्सेदराज से बने हुये है। दौराने सेटलमेंन्ट भू प्रबन्ध अधिकारी व कर्मचारी को रिकार्ड आफ राईटस में किसी प्रकार का फेरबदल करने का अधिकार नही है। इस कारण बिना किसी अधिकारिता के ही गैर कानूनी तरीके से भूप्रबन्ध अधिकारीयों व कर्मचारियों ने उक्त आराजीयात का किश्म गै0मु0 आबादी से गै0मु0 बाडा, व जाव प्रथम व चाही प्रथम परिवर्तन कर अप्राथी संख्या दो के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया। उक्त दुरूस्ती करवाने के लिए प्राथी ने

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

श्रीमान कलक्टर महोदय के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर श्रीमान कलेक्टर महोदय ने श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के यहां से रिपोर्ट मंगवाई जिस पर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के द्वारा श्रीमान तहसीलदार सांगानेर के यहा से आयी रिपोर्ट में यह अंकित किया कि वाछित संशोधन हेतु ग्राम पंचायत बडी का बास को उपखण्ड अधिकारी महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा जिस पर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय के द्वारा अपने द्वारा भेजी रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि वाछित संशोधन हेतु ग्राम पंचायत बडी का बास द्वारा समक्ष न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर न्यायालय के निर्णययानुसार ही कार्यवाही करना सम्भव है। इस कारण प्राथी का यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हुआ। जमाबन्दी संवत 2015 से 2034 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 47 के हाल खसरा नम्बर 154 रकबा 0.04 हैक्टेयर गै0मु0 बाडा व खसरा नम्बर 179 रकबा 0.05 है0 किश्म जाव प्रथम 0.04 व चाही 0.01 है0 की किश्म परिवर्तन कर गै0मु0 आबादी दर्ज कर अप्रार्थी संख्या दो के नाम से राजस्व रिकार्ड मे से हटाकर प्राथी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस बाद तामिल शामिल मिसल है। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार सांगानेर ने अपने पत्र क्रमांक 4648 दिनांक 14.08.2017 में अंकित किया है कि खतौनी बन्दोबस्त ग्राम खुसर सम्वत् 2015–34 के अनुसार खसरा नम्बर 47 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा किस्म गै0मु0 आबादी दर्ज रिकार्ड थी। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल पुराने खसरा नम्बर 47 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 154/0.04 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 155/1.50 हैक्टेयर, खसरा 189/0.05 हैक्टेयर बने है। खतौनी बन्दोबस्त 1 जुलाई 1989 से 30 जून 2009 के अनुसार खसरा नम्बर 154/0.04 हैक्टैयर गै0मु0 बाडा, खसरा नम्बर 189/0.05 हैक्टेयर किस्म जाव 1/0.04 हैक्टेयर चाही प्रथम 0.01 हैक्टेयर सिवायचक काबिल काश्त दर्ज रही है। ग्राम खुसर की जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के अनुसार खसरा नम्बर 154 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बाडा, 189/0.05 हैक्टेयर किस्म जाव प्रथम, 0.04 हैक्टेयर चाही प्रथम, 0.01 हैक्टेयर जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 155 रकबा 1.50 हैक्टेयर गै0मु0 आबादी ग्राम पंचायत के नाम दर्ज है। ग्राम पंचायत बडी का बास द्वारा खसरा नम्बर 154 रकबा 0.04, खसरा नम्बर 189 रकबा 0.05 हैक्टेयर की किस्म परिवर्तन तथा ग्राम पंचायत बडी का बास के नाम दर्ज करवाना चाहा है। जिस सन्दर्भ में कार्यालय जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट जयपुर का पत्र क्रमांक आर–1( )आबादी/जविप्रा/8252–8263 दिनांक 01.08.2017 प्रस्तुत किया जिसमें जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज गै0मु0 आबादी भूमियां ग्राम पंचायत के नाम लगाने

उप–खण्ड अधिकारी,
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

बाबत प्रस्तुत किया गया। जिसमें ग्राम पंचायतों की पूर्व की आबादी भूमिया जो वर्तमान रिकार्ड में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से दर्ज है के सम्बन्ध में जविप्रा को लिखा जाने पर अवगत कराया है कि "जयपुर विकास प्राधिकरण के पत्रांक जविप्रा/उपा/जोन–12/2012/डी–2706 दिनांक 28.08.2012 (एफ–बी) के द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज गैमु आबादी भूमि जो पूर्व में पंचायत के अधिकार क्षेत्र में थी किन्तु वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हो गई है को पुनः पंचायतों के नाम दर्ज किये जाने के संबंधमें जविप्रा द्वारा एनओसी जारी की जा चुकी है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाना है। अतः जिला प्रशासन द्वारा उक्तानुसार कार्यवाही की जा सकती है। प्रकरण विशेष हेतु नये सिरे से एन0ओ0सी0 जारी की जाने की आवश्यकता नही है।"

अप्रार्थी संख्या 2 को जारी रजिस्टर नोटिस की रसीद शामिल मिसल है। कोई उपस्थित नही होने पर प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी जाकर न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबन्द सम्बत् 2015 से 2034 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 47 से बने हाल खसरा नम्बर 154 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बाडा के स्थान पर किस्म गै0मु0 बाडा किये जाने के आदेश दिये जाते है व खसरा नम्बर 179 रकबा 0.05 है0 की किश्म परिवर्तन कर गै0मु0 आबादी दर्ज कर अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से हटाकर प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगत राजेश्वर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : जगत राजेश्वर, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 55/2017
संशोधित आदेश दिनांक :24.10.2018

1. ग्राम पंचायत बडी का बास जरिये संरपच झूथाराम बलाई पता ग्राम पंचायत बडी का बास तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

...प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. जयपुर विकास अधिकारी जयपुर जरिये सचिव पता इन्द्रा सर्किल, जेएलएन मार्ग जयपुर।

...अप्रार्थी

संशोधित आदेश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

न्यायालय में विचाराधिन प्रार्थना पत्र संख्या 55/2017 उनवानी ग्राम पंचायत बडी का बास बनाम राजस्थान सरकार में जारी निर्णय दिनांक 18.10.2018 के पृष्ठ संख्या 3 के अंतिम पैरा में लाईन संख्या 6 में अंकित गै0मु0 बाडा के स्थान पर गै0मु0 बाडा अंकित किया गया है, उस स्थान पर गै0मु0 नाडा से गै0मु0 बाडा पढा जावे। संशोधित आदेश निर्णय दिनांक 18.10.2018 का पार्ट रहेगा।

(जगत राजेश्वर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Scanned by CamScanner